

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारीकिशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 07.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की लडकी मोबाईल नं0- 9580781256 से बात करती थी जिसे कोई भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 42/24 धारा 363/366 भादवि0 बनाम मोबाईल नं0- 9580781256 का धारक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 16.04.2024 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू आनन्द पुत्र राजेश आनन्द सा0 भदनांग थाना पुरवां जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को नरौली स्टैण्ड से समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार कर अपहृता को मौके से बरामद किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 42/24 धारा 363/366 भादवि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** सोनू आनन्द पुत्र राजेश आनन्द सा0 भदनांग थाना पुरवां जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**बरामदगी-** अपहृता/किशोरी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 सौरभ कुमार, हे0कां0 सर्वेश यादव, म0कां0 आरती शुक्ला थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना मुबारकपुरअवैध तमन्चा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 02 अवैध असलहा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद

आज दिनांक 16.04.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा ग्राम गजहड़ा मोड़ से अभियुक्त 1.अभिषेक यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी नसीरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व 2.अभय यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम नसीरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को 01-01 देशा तमन्चा .303 बोर व 01-01 जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ समय करीब 04.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0 0145/2024 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 व 2. मु0अ0सं0 0146/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 0145/2024 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अभिषेक यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम नसीरुद्दीनपुर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 0146/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ अभय यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम नसीरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम नसीरुद्दीनपुर जनपद आजमगढ़।

2. अभय यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम नसीरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर (अभिषेक के कब्जे से)

01 तमन्चा .303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर (अभय के कब्जे से)

आपराधिक इतिहास-

अभय यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम नसीरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 253/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 440/2023 धारा 323/341/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0 0146/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, हे0कां0 संदीप सिंह, का0 सन्नी सिंह, का0 प्रेमप्रकाश थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

## थाना दीदारगंज

### किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 07-04-2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की लड़की को अभियुक्त 1. शिवम यादव पुत्र बलराम निवासी संग्रामपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ भगा ले जाने तथा वादी द्वारा अभियुक्त के परिजन से पूछने पर 2. हरिराम 3. बलराम समस्त पुत्र अज्ञात 4. अन्य अज्ञात लोग समस्त निवासी ग्राम संग्रामपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने धमकी व गाली गलौज दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 91/24 धारा 363,366,504,506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

#### **गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 16.04.2024 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र बलिराम यादव ग्राम संग्रामपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को पल्थी बाजार से समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** शिवम यादव पुत्र बलिराम यादव ग्राम संग्रामपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 91/24 धारा 363,366,504,506 भादवि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** प्र0नि0 अखिलेश कुमार, उ0नि0 करमुल्ला अली, का0 हरेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़।

## थाना मुबारकपुर

### तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 16.04.2024 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा इस्लामपुरा से अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी ग्राम गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को समय करीब 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0147/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 0147/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** आशीष यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी ग्राम गजहड़ा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

**बरामदगी-** 01 देशी तमंचा .315 बोर व 01 कारतूस .315 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 संजय कुमार सिंह, हे0का0 रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

## थाना- रानी की सराय

### 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-** दिनांक 06.01.2024 को वादी मुकदमा अबुशहमा पुत्र मो0 इकराम नि0 आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की विल्डिंग मैटेरियल की दुकान से अभियुक्त 1. हनजल पुत्र स्व0 अशफाक नि0 आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़, व 01 नाम पता अज्ञात व्यक्ति ने चोरी किया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 05/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ अभियुक्त हनजला पुत्र स्व0 अशफाक अहमद निवासी आवक थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दिनांक 07.01.2024 को गिरफ्तार मा0 न्यायालय भेजा जा चूका है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अताउल्लाह पुत्र दिलजाली उर्फ नवी हसन नि0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 16.04.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह द्वारा से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अताउल्लाह पुत्र दिलजाली उर्फ नवी हसन नि0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को सिरसाल अदरशपुर मोड से समय करीब 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 98/2024 धारा 3/25 एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0- 98/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** अताउल्लाह पुत्र दिलजाली नि0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-** 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

#### **आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 77/2023 धारा 323/325/504/506 भादवि0 रानी की सराय आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 81/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट रानी की सराय आजमगढ़।

3. मु0अ0सं0- 352/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट रानी की सराय आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0- 05/2024 धारा 379/411 भादवि रानी की सराय आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0- 98/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट रानी की सराय आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 संतोष कुमार यादव, SI UT श्वेता दुबे, का0 सर्वेश कुमार, का0 संजय कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।